भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 115
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: भंडारण सुविधाओं के लिए राजसहायता

***115. श्री धर्मबीर सिंहः**
श्री मनीष जायसवालः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भंडारण सुविधाओं के लिए राजसहायता की उपलब्धता के संबंध में छोटे और सीमांत किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का प्याज भंडारण सुविधाओं के निर्माण की बढ़ती लागत को समायोजित करने हेतु 1.75 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार की भविष्य में इस योजना के अंतर्गत ऐसी और अधिक फसलों को सम्मिलित करने की योजना है जो जल्द खराब हो जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"भंडारण सुविधाओं के लिए राजसहायता" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ श्री धर्मबीर सिंह और श्री मनीष जायसवाल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 115 के भाग (क) से (ग) का उललिखित विवरण

(क): कृषक समुदाय के बीच भंडारण के लिए सब्सिडी की विभिन्न स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, कृषि विस्तार स्कीम को दूरदर्शन, डीडी किसान और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मास मीडिया सपोर्ट दी जा रही है ताकि प्रायोजित कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रसारित और प्रचारित किया जा सकें। इस स्कीम के तहत, 18 क्षेत्रीय दूरदर्शन केंद्रों के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन 30 मिनट का कृषि दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीडी किसान पर सप्ताह में तीन दिन कृषि दर्शन, हैलो किसान और चौपाल चर्चा नामक तीन कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी पर, दो कार्यक्रम: i) किसानवाणी कार्यक्रम 96 ग्रामीण आकाशवाणी एफएम रेडियो स्टेशनों के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन, और ii) किसान की बात दिल्ली (एनसीआर) में आकाशवाणी एफएम गोल्ड चैनल के माध्यम से सप्ताह में तीन दिन प्रसारित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कृषक समुदाय के लाभ के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संचालित डीडी, एआईआर और निजी टीवी व रेडियो चैनलों के माध्यम से ऑडियो-वीडियो स्पॉट के माध्यम से एक केंद्रित प्रचार और जागरूकता अभियान भी प्रसारित/टेलीकास्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में आउटडोर विज्ञापन के साथ-साथ प्रिंट विज्ञापन के माध्यम से प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, प्रचार और जागरूकता के लिए फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और पब्लिक ऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के तहत 25 मीट्रिक टन क्षमता वाले कम लागत वाले प्याज भंडारण स्ट्रक्चर के लिए प्रति इकाई 1.75 लाख रुपये की कुल लागत के 50% की दर से सहायता की परिकल्पना की गई थी।

पिछले 10 वर्षों के दौरान विभिन्न घटकों की इनपुट लागत में वृद्धि को देखते हुए, एमआईडीएच दिशा-निर्देशों के साथ-साथ लागत मानदंडों को संशोधित किया गया है, जिसके तहत कम लागत वाले प्याज भंडारण की लागत को 25 मीट्रिक टन की अधिकतम क्षमता के लिए 10,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, देश में प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए, उच्च क्षमता अर्थात 1000 मीट्रिक टन की अधिकतम क्षमता के साथ कम लागत वाले प्याज भंडारण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं।

(ग): एमआईडीएच स्कीम के अंतर्गत सभी शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलें शामिल हैं। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक घटक के रूप में समेकित शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना स्कीम को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों के फसलोपरांत नुकसान को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है।

उपरोक्त के अलावा, बागवानी सहित शीघ्र खराब होने वाली फसलों के विकास के लिए गतिविधियां, अन्य विभिन्न सरकारी स्कीमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) आदि के तहत की जा सकती हैं।

*****